कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
पत्रांक 392 /12-1 दिनांक, मसूरी 26 –07–2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :– **जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून का पत्रांक FP/UK/ROAD/19607/2016 दिनांक 14–07–2016।

महोदय,

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून द्वारा जनपद–देहरादून के विकास खण्ड सहसपुर में ग्रामीण सड़कें एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.8890 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव इस कार्यालय को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्तावक / ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा अपलोड आनलाईन प्रस्ताव को प्रभाग स्तर से जांच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित प्रस्ताव की एक (01) हार्ड एंव साफ्ट प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित भूमि का संयुक्त निरीक्षण एंव प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों /अधिकारियों द्वारा दि0 16–11–2015 एंव 12–03–2016 को किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य में कोई वृक्ष वाधित होने निहित नहीं है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा ग्रामीण मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित स्थल का दि0 28–04–2016 एंव दि0 22–07–2016 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कृपा करें।

संलग्नक–: उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक (01) प्रति)।

भवदीय

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 392 /दिनांकित।

प्रतिलिपि –
1. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून, को उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में।
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी(देहरादून),मसूरी वन प्रभाग को सूचनार्थ एंव इस आशय से प्रेषित कि कृपया वर्णित स्थल पर बिना विधिवत् विधिवत् स्वीकृति के वन भूमि में किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न होने दें।
3. वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विषयंकित प्रकरण में बिना विधिवत् स्वीकृति के वन भूमि में किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य न होने दें।

(डा0 धीरज पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Executive Engineer, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून **for "Construction of** ग्रामीण सड़के एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु **(Proposed Length- 1.430 K.M)" under FCA-1980 of 0.889 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of, "Construction of** ग्रामीण सड़के एंव ड्रेनेज विभाग के अन्तर्गत नौ बीघा–रिखोली मुख्य मार्ग के किमी0 16 से नारायण सिहं के घर तक ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु**". The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated 22 - 07- 2016.**

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve Forest + Prevate Forest + Civil Forest (RF 0.889 ha. + PF 0.00 ha.+CF 0.00 ha.) = 0.889 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

No rare/endagered/unique species of flora and fauna is found in the area.

No protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monument is located in the area.

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) AS such, recommendation is being provided.

Prposal is Recommended.

(Signature)

Name (Dr. Dheeraj Pandey)

Designation.. प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Place - Mussoorie

Office Seal

Date – 22 . 07 .2016

N.B x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 ha. of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 ha. of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

Filename:	Letter.docx
Directory:	C:\Users\divison\Desktop\Nou Biga-Rekholi MR
Template:	C:\Users\divison\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:	
Subject:	
Author:	admin
Keywords:	
Comments:	
Creation Date:	01-01-2001 04:56:00
Change Number:	3
Last Saved On:	01-01-2001 05:09:00
Last Saved By:	admin
Total Editing Time:	3 Minutes
Last Printed On:	27-07-2016 03:50:00

As of Last Complete Printing

Number of Pages:	3
Number of Words:	1 (approx.)
Number of Characters:	10 (approx.)